



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 3904 वर्ष 2026

प्रशांत शुक्ला

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी (गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता	: अखिलेश कुमार मिश्र, मो० करीम
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या –12

माननीय न्यायमूर्ति श्री ज़फीर अहमद

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, जो थाना टंडियावां, जनपद हरदोई के अपराध संख्या 154/2026, धारा 311,317(3) बी.एन.एस. (तदनुरूपी धारा 397 एवं 412 भा.द.सं.) के अंतर्गत अभियोजित है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप असत्य और आधारहीन हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदक का नाम पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान में सामने आया है। उनका तर्क है कि पुलिस के समक्ष दिए गए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इकबालिया बयान विधिक दृष्टि से ग्राह्य नहीं है। आवेदक क आप्राधिक इतिहास जमानत आवेदन के परिच्छेद 16 में स्पष्ट किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक 08.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। यद्यपि, वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करने में असमर्थ रहे।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के उपरांत, इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक का नाम पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान में सम्मने आया है, आवेदक 08.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ।

7. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. अपराध संख्या 154/2026, धारा 311, 317(3) बी.एन.एस. (तदनुरूपी धारा 397 एवं 412 भा.द.सं.) थाना टंडियावां, जनपद हरदोई से सम्बंधित आवेदक प्रशांत शुक्ला को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभूति प्रस्तुत करे, साथ ही न्यायहित में निम्नलिखित शर्तों अधिरोपित की जाती हैं:-

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- iii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।
- iv. आवेदक इस आशय का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

v. आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

vi. यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्धोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति श्री ज़फीर अहमद)

4 जून, 2026

कन्हैया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।